



# कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला।

E-mail:- cf-gumla@gov.in / cf-gumla@gmail.com, Ph. No :- 06524-221236(O), 223052(R)



पत्रांक 2020 /

दिनांक 21/09/23 /

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा।

विषय :- मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साइट खनन हेतु 7.52 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।


प्रसंग :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 935 दिनांक 14.09.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साइट खनन हेतु 7.52 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर समीक्षोपरान्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ने अपने पत्रांक 935 दिनांक 14.09.2023 से भारत सरकार के दिशा- निर्देश के अनुश्रवण में वन प्रमण्डल अन्तर्गत प्रस्तावित मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साइट खनन हेतु 7.52 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव में Safety zone एरिया को सम्मिलित कर समेकित संशोधित प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने के लिए निर्देश दिया है।

अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 935 दिनांक 14.09.2023 से प्राप्त प्रस्ताव की मूल प्रति 06 प्रतियों में वापस करते हुये निर्देश दिया जाता है कि समेकित संशोधित प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को अपने स्तर से निर्देश दे, ताकि प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई किया जा सके।

विश्वासभाजन

  
वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल, गुमला।  
28/09/23